राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4)विभाग

प. 2(89)/शिक्षा–4/2003 जयपुर, दिनांकः–20.6.2003

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषयः– श्रीमती कुनणी देवी महिला महाविद्यालय नवलगढ के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003–04 के लिये संशोधित अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

संदर्भः– इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 5.6.2003 एवं निदेशालय के पत्रांक 2206 दिनांक 7.6.03

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त महाविद्यालय में कला संकाय के लिये 12 ऐच्छिक विषयों में सत्र 2003–04 से तीन वर्ष के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, अब निदेशालय के संदर्भित पत्र द्वारा अभिशंषा के अनुसार उपरोक्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त 1. रसायनशास्त्र 2.भौतिक विज्ञान 3. गणित 4. प्राणिशास्त्र 5. वनस्पतिशास्त्र 6.कम्प्यूटर एप्लीकेशन 7.जैव प्रौद्योगिकी एच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003–04 से तीन वर्ष के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।शर्ते पूर्व में जारी किये गये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 5.6.2003 के अनुसार ही लागू रहेंगी ।

भवदीय,

(डा० के.एस.शर्मा)
विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 राज्यमंत्री, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजि सचिव, शासन सचिव, उच्चशिक्षा,राजस्थान, जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. उप सचिव, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू ।
6. सचिव, गौतम बालिका विद्यापीठ संस्थान पैट्रोल पंप के पास, नवलगढ (झुन्झुनू)
7. रक्षित पत्रावली ।

विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4)विभाग

प. 2(89)/शिक्षा–4/2003 जयपुर, दिनांकः– 5.6.03

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषयः– श्रीमती कुनणी देवी महिला महाविद्यालय नवलगढ के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003–04 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

संदर्भः– निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांकः प.4 ( ) लेखा/निकाशि/2003/1745 दिनांकः 21.5.2003

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कॉलेज शिक्षा ,राजस्थान , जयपुर द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र में की गई अनुशंषा के आधार पर श्रीमती कुनणी देवी महिला महाविद्यालय नवलगढ के नाम से नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं उसमें स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त कला संकाय में 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. राजनीति विज्ञान 4. गृहविज्ञान 5. संस्कृत साहित्य 6. अर्थशास्त्र 7. भूगोल 8. दर्शनशास्त्र 9. समाज शास्त्र 10. लोक प्रशासन 11. चित्रकला एवं 12. इतिहास ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेते सत्र 2003–04 से तीन वर्ष के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न लिखित शर्तो के साथ जारी किया जाता है :–

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धंन प्राप्त करने के बाद ही छात्राओं को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सूची एक वर्ष के अन्दर निदेशालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करेगी अन्यथा निदेशालय द्वारा एन. ओ.सी. रद् करने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार व्यक्तियों की ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी
5. संस्था नवीन महाविधालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे कक्षा कक्ष /फर्नीचर/प्रयोगशालायें/पुस्तकालय /खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था स्थाई निधि की राशि 2.00 लाख रुपये 5 वर्षीय सावधि जमा/5 वर्ष तक जमा रखने होंगे तथा पांच वर्ष बाद नवीनीकरण कराया जावेगा ।
7. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
8. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की पालना करेगी ।
9. संस्था को एक वर्ष के अन्दर स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण करना होगा ।
10. उक्त नवीन महाविद्यालय हेतु सीटों का आंवटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सूचित किया जावेगा ।

भवदीय ,

विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक , मा0 राज्यमंत्री , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
2. निजि सचिव , शासन सचिव , उच्चशिक्षा ,राजस्थान , जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
4. उप सचिव , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर , झुन्झुनू ।
6. सचिव, गौतम बालिका विद्यापीठ संस्थान पैट्रोल पंप के पास, नवलगढ (झुन्झुनू)
7. रक्षित पत्रावली ।

विशेषाधिकारी , उच्चशिक्षा

226

12/7/13

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (273) आकाशि/अनु/03/706 दिनांक– 1/3/2013

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2012–13 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है–

पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
273	श्रीमती कुणनी देवी महिला महाविद्यालय, झाझड़ रोड, नवलगढ़ जिला झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय/ संकाय

सत्र 2013–14 में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा ।

1. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित हो रहे महाविद्यालय को अनिवार्य रूप से सत्र 2013–14 में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में मय निर्धारित प्रपत्र व निर्धारित शुल्क सहित करना होगा ।
2. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :–
   - अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि–भवन के पंजीकृत दस्तावेज ।
   - ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टाफ पर संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र प्राप्ति की प्रति।
   - स. स्टॉफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।
   - द. समस्त स्टाफ का पी.एफ. कटौती ।
   - य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था ।

   उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
3. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
6. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. संस्था नजदीकी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेगी।
8. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
9. संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोविंग एवं रेंजिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कालेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे ।
10. **बिन्दु सं0 2 में अंकित मानदण्डों की पूर्ति कर 15 जून, 2013 तक आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें अन्यथा सत्र 2013–14 में प्रथम वर्ष में प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा एवं महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का विभाग को अधिकार होगा ।**
11. **संस्था द्वारा अंकित मापदण्डों की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं आरोपित शास्ति भरने हेतु बाध्य रहेगी ।**

निदेशक,
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, झुंझुनू
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
5. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (481) आकाशि/नि.स./2003/ 1980 दिनांक:- 28/6/17

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन संकाय/विषय
श्रीमती कुनणी देवी महिला महाविद्यालय, नवलगढ़, झुन्झुनू।	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातकोत्तर स्तर पर- विज्ञान संकाय-वनस्पतिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भीउल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।
4. कुल सचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (नि.सं.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)